न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 105/2022

1 लियाकत उम्र 41 वर्ष पुत्र महबूब जाति मुसलमान चेजारा निवासी मोहल्ला चेजारान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू मृतक।
1/1 श्रीमती खातुन पत्नी लियाकत।
1/2 अब्दुल करीम पुत्र लियाकत।
1/3 साजीद पुत्र लियाकत।
1/4 तौफिक पुत्र लियाकत समस्त जाति मुसलमान निवासीगण झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नशीरूद्दीन पुत्र महबूब।
2 हालम पुत्र महबूब।
3 साज्जिल पुत्र नवाब।
4 राहिल पुत्र नवाब।
5 सदिक पुत्र सुभान।
6 सगीर पुत्र सुभान।
7 हसन पुत्र सुभान।
8 श्रीमती सुम्मा पत्नी नजमूद्दीन।
9 अरबाज पुत्र नजमूद्दीन।
10 परवेज पुत्र नजमूद्दीन।
11 आबिदा पुत्री नजमूद्दीन।
12 सबिना पुत्री नजमूद्दीन।
13 कोसन पुत्री नजमूद्दीन।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

14 जैबून पुत्री नजमूद्दीन।
15 क्यूम पुत्र अयुब।
16 दाऊद पुत्र सुभान।
17 जैतून पत्नी इब्राहीम।
18 जीवण पुत्र इब्राहीम।
19 मुस्ताक पुत्र इब्राहीम।
20 इम्तियाज पुत्र इब्राहीम।
21 कुरेशी पुत्री कमरूद्दीन।
22 रफीक पुत्र आसीया उर्फ आसली।
23 हमीदा पत्नी युसुफ।
24 जनेब पुत्री युसुफ समस्त जाति मुसलमान निवासीगण मौहल्ला चेजारान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
25 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक
26.06.2014 व अन्तिम डिक्री व निर्णय दिनांक
21.10.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू
बमुकदमा उनवानी मु. आसिया उर्फ आसली बनाम
नशीरूद्दीन वगैरह मुकदमा नम्बर 183/2011

उपस्थिति :

1. श्री राजकुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 9-11-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 183/2011 में पारित निर्णय दिनांक 26.06.2014 व 21.10.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 21 व 23 व 24 की व दादी आसिया उर्फ आसिली ने दावा बाबत खाता विभाजन व बंटवारा का पेश कर निवेदन किया कि कस्बा झुंझुनू में वादीगण के पिता कमरूद्वीन व प्रतिवादीगण के पूर्वज गन्नी पुत्र घासी जाति चेजारा मुसलमान की छोड़ी गई काश्त की आराजी खसरा नम्बर 369 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा मकरूदीन के देहान्त के बाद खातेदारी में दर्ज हो गया तथा 1/2 हिस्सा का अब प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 काबिज काश्तकार है। उक्त आराजी मकरूदीन व गन्नी पुत्र घासी की अर्जित बारानी है। जिसको कमरूदीन व अब्दुल गन्नी ने अपनी सुविधा से आपसी सहमति से बंटवारा करीब 60 वर्ष पूर्व कर लिया था जमीन को दो भागों में बांट लिया था जिसमें उतरी साईड का 1/2 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा गन्नी के हिस्से में तथा दक्षिणी साईड का 1/2 10 बीघा 11 बिस्वा वादीगण के पिता कमरूदीन के हिस्से में आया कमरूदीन के वादीगण आसली व कुरेशी दो पुत्रियां पैदा हुई जो कमरूदीन के बाद इस आराजी को शामलाती काश्त करती रही तथा बाद में इस 1/2 भाग को घरेलू बंटवारे के अनुसार दो भागों में बांट लिया जिसमें आसली का उतरी 1/2 हिस्सा मो. कुरेशी का दक्षिण साईड का 1/2 हिस्सा आया। इसी अनुसार उक्त आराजी का बंटवारा कर खाता अलग—अलग करने का दावा पेश किया। दावे में अपीलांट व प्रतिवादी संख्या 2 व 5 व 3 व 4 के पिता की तामील इंकारी से मानकर विधि विरूद्व जाकर दिनांक 18.12.1997 को एक पक्षीय कार्यवाही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अमल में लाई गई जबकि दिनांक 18.12.1997 की दिनांक के समन नोटिस का अवलोकन करें तो नोटिस की पीठ पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट लिखी हुई है। लियाकत घर पर मिला समन लेने से इन्कार हुआ समन की एक प्रति लियाकत के खुले मकान पर चस्पा किया, रिपोर्ट सेवा में पेश है सुरेश तामील कुनिन्दा कि इस रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के खिलाफ दिनांक 18.12.1997 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 व 4 की जवाब देही व साक्ष्य सफाई की बन्द करके अपीलांट प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व जाकर एक पक्षीय कार्यवाही कर, शेष प्रतिवादीगण की जवाबदेही लेकर दावा संख्या 61/1995 दिनांक 24.04.1999 को व प्राथमिक डिक्री द्वारा निर्णित कर दिनांक 27.09.1999 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी। उक्त अन्तिम व निर्णय व डिक्री के खिलाफ अपील प्रतिवादी संख्या 15 व 16 द्वारा विचारण न्यायालय में की गई जिसमें दिनांक 25.07.2011 को विचारण न्यायालय ने विचारण न्यायालय को पत्रावली प्रति प्रेषित कर पुन साक्ष्य लेकर निर्णित करने हेतु पाबन्द किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.06.2014 को अपने प्राथमिक निर्णय व डिक्री निर्णित कर दिनांक 27.10.2016 को उक्त निर्णय को अंतिम डिक्री पारित की है। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री के विरूद्व यह अपील दिनांक 28.04.2022 को धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण संख्या 61/1995 में अपीलांट की तामील नही हुई थी तथा वाद में राजस्व अपील अधिकारी झुंझुनू द्वारा दावा खारिज कर रिमाण्ड करने के बाद काउन्टर क्लेम में भी अपीलांट की तामील नही करवायी और बिना अपीलांट के ज्ञान के ही काउन्टर क्लेम डिक्री किया है। जिसकी अपीलांट को कोई ज्ञान नही था अपीलांट ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में अपने हक हिस्से कि भूमि पर मकान बनाने के लिए भूमि का **Land Use Conversion** करवाने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

के लिए विवादित भूमि की जमाबंदी निकलाने पर इस गलत राजस्व रिकार्ड का ज्ञान हुआ। दिनांक 30.03.2022 को समस्त जमाबंदी आदि रेस्पोडेंट संख्या 25 के कार्यालय से प्राप्त करने पर आपके निर्णयों का ज्ञान दिनांक 30.03.2022 को ज्ञान से अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जावें। विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई, जवाब देही का अवसर प्रदान नही किया गया है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दावे से विवादित भूमि में अपीलांट के पिता महबूब का 1/6 हिस्सा होना स्वीकृत है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व रूप से एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना काउन्टर क्लेम की तनकी बनाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की गई है। अत अपील स्वीकार कर दोनो विचाराधीन डिक्री अपास्त की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपीलांट ने धारा 5 के आवेदन में तथ्यों को छिपाकर आवेदन प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय में दावा संख्या 143/2007 नसीरूद्वीन बनाम जीवण प्रस्तुत किया गया था। इस वाद में प्रतिवादी संख्या 12 लियाकत की ओर से बनवारीलाल ढ़ाका, रामावतार ढ़ाका का वकालतनामा प्रस्तुत कर दिनांक 19.12.2007 को उपस्थिति दी गई है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के सन्दर्भ में अपीलांट को राजस्व रिकार्ड एवं वाद की जानकारी नही होने का कथन मिथ्या है। अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट की सम्यक तामील नही होने के सन्दर्भ में अपीलांट द्वारा आदेश 9 नियम 13 के तहत कोई कार्यवाही नही की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्राथमिक व अन्तिम डिक्री की एक साथ प्रस्तुत की गई है। विधि अनुसार प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री की एक साथ अपील पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.06.2014 के विरूद्व इस न्यायालय में समशेर अली की ओर से अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्रस्तुत की गई थी। यह अपील इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2016 को अन्तिम रूप से निस्तारित की जा चुकी है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.09.2016 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में अपील संख्या 7265/2016 समशेर बनाम आसिया आज भी विचाराधीन है। इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत अपील का पूर्व में निस्तारण किया जा चुका है। अत पुन प्राथमिक डिक्री के विरूद्व यह अपील विधि अनुसार पोषणीय नही है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपीलांट ने धारा 5 के आवेदन में तथ्यों को छिपाकर आवेदन प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय में दावा संख्या 143/2007 नसीरूद्वीन बनाम जीवण प्रस्तुत किया गया था। इस वाद में प्रतिवादी संख्या 12 लियाकत की ओर से बनवारीलाल ढ़ाका, रामावतार ढ़ाका का वकालतनामा प्रस्तुत कर दिनांक 19.12.2007 को उपस्थिति दी गई है। इस तथ्य की पुष्टि रेस्पोडेंट द्वारा वर वक्त बहस फर्द के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से होती है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के सन्दर्भ में अपीलांट को राजस्व रिकार्ड एवं वाद की जानकारी नही होने का कथन मिथ्या है। अपीलांट को धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही माना जा सकता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय ने अपीलांट की सम्यक तामील नही होने के सन्दर्भ में अपीलांट द्वारा आदेश 9 नियम 13 के तहत कोई कार्यवाही नही की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्राथमिक व अन्तिम डिक्री की एक साथ प्रस्तुत की गई है। विधि अनुसार प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री की एक साथ अपील पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.06.2014 के विरूद्व इस न्यायालय में समशेर अली की ओर से अपील प्रस्तुत की गई थी। यह अपील इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2016 को अन्तिम रूप से निस्तारित

भ-प्रबन्ध अधिकारी एव

की जा चुकी है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.09.2016 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में अपील संख्या 7265/2016 समशेर बनाम आसिया आज भी विचाराधीन है। इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत अपील का पूर्व में निस्तारण किया जा चुका है। अत पुन प्राथमिक डिक्री के विरूद्व यह अपील विधि अनुसार पोषणीय नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9-11-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम प्रताप सींकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर